

¹[नियम 86ख : इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध रकम के उपयोग पर प्रतिबंध]

इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उन मामलों में ऐसी कराधेयता के 99% से अधिक उत्पाद कर के लिए अपनी देयता के निष्पादन हेतु इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का इस्तेमाल नहीं करेगा जहां छूट आपूर्ति तथा शून्य दर वाली आपूर्ति से भिन्न कराधेय आपूर्ति का मूल्य एक माह में पचास लाख रुपये से अधिक है :

परन्तु उक्त प्रतिबंध वहां नहीं लागू होगा जहां—

- (क) यथास्थिति उक्त व्यक्ति अथवा स्वामी अथवा कर्ता अथवा प्रबंध निदेशक अथवा इसके दो साझीदारों में से कोई एक, पूर्णकालिक निदेशक, संघों की प्रबंध समिति के सदस्य अथवा बोर्ड न्यासी, ने विगत दो वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन आय के रूप में एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया है जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आयकर विवरणी दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गयी है; अथवा
- (ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के खण्ड (i) के अधीन अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिदाय रकम एक लाख रुपये से अधिक प्राप्त की है; अथवा
- (ग) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के खण्ड (ii) के अधीन अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिदाय रकम एक लाख रुपये से अधिक प्राप्त की है; अथवा
- (घ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस रकम के लिए इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर के माध्यम से उत्पाद कर के प्रति अपनी देयता का निर्वहन किया है जो चालू वित्तीय वर्ष में उक्त माह तक संचयी रूप से प्रयुक्त कुल आउटपुट कर देयता के 1% से अधिक है; अथवा
- (ङ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होता है—
 - (i) सरकारी विभाग; अथवा
 - (ii) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम; अथवा
 - (iii) स्थानीय प्राधिकरण; अथवा
 - (iv) सांविधिक निकाय :

परन्तु यह भी कि आयुक्त अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसा सत्यापन तथा ऐसे रक्षोपायों जिसे वह उचित समझे, के उपरान्त उक्त प्रतिबंध को हटा सकता है।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा 86ख अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)।